भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009
(2009 का 8)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

सं0 116–4/2009–एमएन(खंड–II) —–—– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** – (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) (क) खंड (ख) में अन्यथा उपबंधित के अलावा, ये विनियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(ख) इन विनियमों के विनियम 6,7,8,9,10,11,12 और 13 निम्नानुसार प्रवृत्त होंगे –

(i) महानगर तथा श्रेणी 'क' लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2009 को; और
(ii) अन्य लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों के संबंध में 20 मार्च, 2010 को।

2. **परिभाषाएं** – इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क)''एक्सेस प्रदाता'' से अभिप्रेत है सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस अथवा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस का धारक जिसमें शामिल है ऐसा सेवा प्रदाता, जो सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा सहित फिक्स्ड वायरलाइन अथवा फिक्स्ड वायरलैस सेवा प्रदान कर रहा है।

(ख)"अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) ;

(ग) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ;

(घ) ''डिपिंग'' से अभिप्रेत है कॉल्ड नम्बर को मैसेज की रूटिंग हेतु लोकेशन रूटिंग नम्बर प्राप्त करने के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता की क्वैरी रिस्पांस सिस्टम का प्रयोग;

(ड.)"दाता प्रचालक" से अभिप्रेत है ऐसा सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाता अथवा एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क से सब्सक्राइबर द्वारा किए गए पोर्टिंग के लिए अनुरोध के समय टेलीफोन नम्बर संबंधित है;

(च) "स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस" से अभिप्रेत है किसी एक्सेस प्रदाता और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक द्वारा अनुरक्षित सभी पोर्टेड मोबाइल नम्बरों का डाटाबेस;

(छ) "लोकेशन रूटिंग नम्बर" से अभिप्रेत है मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक एक्सेस प्रदाता को निर्दिष्ट कोड;

(ज) "संदेश" का वही आशय होगा जो इसे भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 3 के खंड (3) में निर्दिष्ट किया गया है;

(झ) "मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" से अभिप्रेत है वह सुविधा जो सब्सक्राइबर को उस स्थिति में अपना मोबाइल नम्बर बनाए रखने की अनुमति देती है, जब वह मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से उसी एक्सेस प्रदाता की दूसरी प्रौद्योगिकी में अंतरित होता है।

(ञ) "मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है ऐसी सत्ता जिसे मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है;

(ट) "नो सर्विस पीरियड" से अभिप्रेत है दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग सब्सक्राइबर की मोबाइल टेलीफोन सेवा के विच्छेदन तथा, पोर्टिंग पर, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल टेलीफोन सेवा के एक्टिवेशन के बीच की समयावधि;

(ठ) "नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस" से अभिप्रेत है प्रत्येक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अनुरक्षित डाटाबेस जिसमें इसके जोन में सभी पोर्टेड मोबाइल सब्सक्राइबर नम्बरों के विवरण धारित हों, तथा साथ ही ऐसे नम्बरों की पोर्टिंग से संबंधित सभी संव्यवहारों का पूर्ण इतिहास हो;

(ड) "नम्बर रेंज होल्डर" से अभिप्रेत है ऐसा एक्सेस प्रदाता जिसे लाइसेंसर द्वारा मूल रूप से वह नम्बर रेंज आवंटित की गई थी जिससे पोर्टेट नम्बर संबंधित है;

(ढ) "प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार" से अभिप्रेत है प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल नम्बर के संबंध में पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को देय प्रभार;

(ण) "पोर्टिंग" से अभिप्रेत है किसी सब्सक्राइबर द्वारा उसके मोबाइल नम्बर अथवा नम्बरों को, यथास्थिति, एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे एक्सेस प्रदाता अथवा एक मोबाइल प्रौद्योगिकी से उसी अथवा किसी अन्य एक्सेस प्रदाता की प्रौद्योगिकी में ले जाने की प्रक्रिया;

(त)''पोर्टिंग प्रभार'' से अभिप्रेत है ऐसा प्रभार जो प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा किसी सब्सक्राइबर से उसके मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए उद्ग्रहित किया जाता है;

(थ) "प्राप्तकर्ता प्रचालक" से अभिप्रेत है कोई एक्सेस प्रदाता जो पोर्टिंग के पश्चात सब्सक्राइबर को मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदान करेगा तथा इसमें शामिल है उसका प्राधिकृत एजेंट;

(द) "विनियमों" से अभिप्रेत है दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009;

(ध) ''सब्सक्राइबर'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति अथवा विधिक सत्ता जो किसी लाइसेंसशुदा दूरसंचार एक्सेस प्रदाता से मोबाइल दूरसंचार सेवा प्राप्त करती है;

(न) "विशेष पोर्टिंग कोड" के अभिप्रेत है एक वर्णअंकीय कोड, जो किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा अपने सब्सक्राइबरों को उसके मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर आवंटित किया गया है; और

(प) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) में और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें, यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों या ऐसे अन्य विनियमों, में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

3. पोर्टेबिलिटी पर सीमाएं. –– (1) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी एक निश्चित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र तक ही सीमित होगी;

(2) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी केवल ऐसे सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन नम्बरों के लिए लागू होगी जो पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन) एक्सेस कोड को समाविष्ट करते हैं।

अध्याय–II
मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

4. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रदान करने का दायित्व. – प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, सभी सब्सक्राइबरों, प्री–पेड और पोस्ट–पेड, दोनों के लिए अपने संपूर्ण नेटवर्क पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी को सुकर बनाएगा तथा अनुरोध पर इसे गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर उपलब्ध कराएगा।

5. विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन के लिए तंत्र स्थापित करने का दायित्व. – प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर, अपने मोबाइल नेटवर्क पर, निम्न के प्रयोजन के लिए, एक तंत्र स्थापित करेगा –

(क) विशेष पोर्टिंग कोड के लिए अनुरोध कर रहे इसके सब्सक्राइबरों से शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) संदेश प्राप्त करने;

(ख) ऐसे प्रत्येक अनुरोध के लिए एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करने तथा एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) संदेश द्वारा इसे तत्काल सब्सक्राइबर को सूचित करने; और

(ग) ऐसे सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध के सत्यापन के प्रयोजनार्थ इसके रिकार्डों में ऐसा विशेष पोर्टिंग नम्बर रखने जोकि इसे अंततः मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता से प्राप्त होगा।

6. पोर्टिंग अनुरोध किए जाने के लिए पात्रता मानदण्ड. – प्रत्येक सब्सक्राइबर अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए अनुरोध करने का पात्र होगाः

परंतु यह कि –

(क) यथास्थिति, यदि मोबाइल नम्बर पहले पोर्ट नहीं किया गया है, तो उसके मोबाइल कनेक्शन के एक्टिवेशन की तारीख से अथवा ऐसे मोबाइल नम्बर के मामले में, जिसे पहले पोर्ट किया गया है, उसकी पिछली पोर्टिंग के पश्चात उसके मोबाइल नम्बर के एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) यथास्थिति, लंबित बिल अथवा बिलों के रूप में दाता प्रचालक को कोई बकाया भुगतान देय नहीं हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परंतु पोर्टिंग के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया हो;

(ग) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन का कोई अनुरोध लंबित न हो;

(घ) पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर पर मामला न्यायालय में न चल रहा हो; और

(ङ) संबंधित मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग किसी न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध न की गई हो।

7. मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए अनुरोध. – (1) अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए इच्छुक प्रत्येक सब्सक्राइबर संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसे प्रपत्र में, जैसाकि ऐसे प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, लिखित में अनुरोध करेगा।

(2) प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा यथानिर्दिष्ट पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्न अंतर्विष्ट होगाः–

(क) विनियम 6 में यथानिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड;

(ख) विनियम 12 में यथानिर्दिष्ट अस्वीकृति के आधार;

(ग) पोस्ट–पेड सब्सक्राइबर के मामले में, सब्सक्राइबर से यह वचन कि उसने पिछले बिल के अनुसार सभी देयताओं का दाता प्रचालक को पहले ही भुगतान कर दिया है तथा वह पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर से संबंधित सभी देय–राशियों का भुगतान दाता प्रचालक को उसकी वास्तविक पोर्टिंग तक करने के लिए बाध्य है तथा यह कि वह समझता है और सहमत है कि दाता प्रचालक को ऐसी किसी देयराशि का भुगतान न किए जाने की दशा में, पोर्ट किया गया मोबाइल नम्बर, ऐसी देय–राशियों की वसूली के लिए विधि के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य समाधान के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा विच्छेदित कर दिए जाने का दायी होगा;

(घ) प्री–पेड सब्सक्राइबर के मामले में, सब्सक्राइबर से इस आशय का वचन कि वह समझता है तथा सहमत है कि मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग पर, पोर्टिंग के समय टॉक–टाइम की शेष राशि, यदि कोई है, समाप्त हो जाएगी; और

(ड.) सब्सक्राइबर के ऐसे विवरण, जैसेकि लाइसेंसर द्वारा अथवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अधिदेशित किए गए हैं।

(3) प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के साथ निम्न संलग्न होगा –

(क) प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा यथानिर्दिष्ट उपभोक्ता अर्जन प्ररूप जिसके साथ नए सब्सक्राइबर के लिए यथालागू सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों; और

(ख) पोस्ट–पेड सब्सक्राइबर के मामले में, पिछले बिल की एक प्रति।

(4) सब्सक्राइबर, पोर्टिंग के लिए अपने अनुरोध के साथ, पोर्टिंग प्रभार, यदि कोई है, का भुगतान करेगा।

8. प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा कार्रवाई. – (1) प्राप्तकर्ता प्रचालक, सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर, यह सत्यापित करेगा कि क्या उपभोक्ता अर्जन प्ररूप में विनियम 7 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज संलग्न हैं।

(2) प्राप्तकर्ता प्रचालक उपभोक्ता अर्जन प्ररूप में यह दर्ज करेगा कि उसने सब्सक्राइबर को देख लिया है तथा उसके दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित मूल दस्तावजों से कर लिया है और उन्हें सही पाया है।

(3) प्राप्तकर्ता प्रचालक उसके पश्चात सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर के उस मोबाइल नम्बर से, जिसे पोर्ट किया जाना आशयित है, दाता प्रचालक के निर्दिष्ट शॉर्ट कोड को एक मैसेज भेजने को कहेगा।

(4) सब्सक्राइबर से मैसेज प्राप्त होने पर, दाता प्रचालक तत्काल ऑटोमेटेड सिस्टम जेनेरेटेड एसएमएस के माध्यम से वापस उस मैसेज का उत्तर भेजेगा जिसमें एक विशेष पोर्टिंग कोड अंतर्विष्ट होगा।

(5) दाता प्रचालक से विशेष पोर्टिंग कोड प्राप्त होने पर सब्सक्राइबर उसे पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप में अंतर्विष्ट करेगा।

(6) प्राप्तकर्ता प्रचालक, चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, मोबाइल नम्बर, तदनुरूपी विशेष पोर्टिंग कोड तथा वह तारीख जिसको सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग अनुरोध किया गया है, संबंधित मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को अग्रेषित करेगा:

परंतु यह कि इस उप–विनियम में यथानिर्दिष्ट चौबीस घंटे की अवधि का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(7) प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को उसके द्वारा अग्रेषित प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के संबंध में प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करने का दायी होगा।

9. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा कार्रवाई. – (1) विनियम 8 के उप–विनियम (6) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध के विवरण प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता अपने नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस से यह सत्यापित करेगा कि क्या मोबाइल नम्बर पूर्व में भी पोर्ट हुआ है और यदि ऐसा है, तो क्या इसकी पिछली पोर्टिंग की तारीख से नब्बे दिन की अवधि समाप्त हो गई है।

(2) जहां पिछली पोर्टिंग की तारीख से नब्बे दिन की अवधि समाप्त न हुई हो, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और प्राप्तकर्ता प्रचालक को तदनुसार सूचित करेगा तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक इस बात की सूचना संबंधित सब्सक्राइबर को देगा।

(3) अन्य सभी मामलो में, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता यह सत्यापित करेगा कि क्या उसी मोबाइल के संबंध में कोई पोर्टिंग अनुरोध पहले ही लंबित पड़ा है और यदि ऐसा है, तो वह पोर्टिंग के लिए वर्तमान अनुरोध को अस्वीकृत कर देगा तथा उस प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसे अस्वीकरण के बारे में सूचित करेगा, जिसने ऐसा अनुरोध अग्रेषित किया है, जो इसके उपरांत इस बात की सूचना संबंधित सब्सक्राइबर को देगा।

(4) यदि उसी मोबाइल नम्बर के संबंध में कोई पोर्टिंग अनुरोध लंबित नहीं है, तो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता ऐसी पोर्टिंग के लिए दाता प्रचालक की मंजूरी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ ऐसे अनुरोध के विवरणों को उसे अग्रेषित करेगा।

10. दाता प्रचालक द्वारा कार्रवाई. – विनियम 9 के उप–विनियम (4) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध के विवरण प्राप्त होने पर, दाता प्रचालक, चौबीस घंटे के भीतर, ऐसे विवरणों को सत्यापित करेगा तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को निम्न सूचित करेगा–

(क) जहां वह पाता है कि पोर्टिंग अनुरोध विनियम 12 में यथानिर्दिष्ट पोर्टिंग अनुरोधों के अस्वीकरण के किसी भी आधार के अंतर्गत शामिल है, यथास्थिति, विशिष्ट आधार अथवा आधारों के विवरण, जिन पर इसे अपने नेटवर्क से नम्बर की पोर्टिंग करने में कोई आपत्ति है; अथवा

(ख) जहां यह पाता है कि पोर्टिंग अनुरोध विनियम 12 में यथानिर्दिष्ट पोर्टिंग अनुरोधों के अस्वीकरण के किसी भी आधार के अंतर्गत शामिल नहीं है, मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए इसकी मंजूरीः

परंतु यह कि इस उप–विनियम में यथानिर्दिष्ट चौबीस घंटे की अवधि का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 कर संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग. – (1) विनियम 10 के अंतर्गत दाता प्रचालक से संप्रेषण प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता–

(क) जहां दाता प्रचालक ने विनियम 10 के खंड (क) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध के अस्वीकरण के आधारों को दर्शाया है, तत्काल उसे प्राप्तकर्ता प्रचालक को सूचित करेगा; अथवा

(ख) जहां दाता प्रचालक ने विनियम 10 के खंड (ख) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध को अपनी स्वीकृति दर्शाई हो अथवा वह, यथास्थिति, विनियम 10 में यथानिर्दिष्ट समय के भीतर, या तो मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए अपनी आपत्ति अथवा अपनी स्वीकृति को संप्रेषित करने में असफल रहा हो, तो वह तत्काल ऐसे मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग की तारीख और समय निर्धारित करेगा तथा उसे पूर्वानुमानित नो सर्विस पीरियड के विवरणों सहित दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता को एक साथ सूचित करेगा।

(ग) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता खंड (ख) के अंतर्गत ऐसी रीति से पोर्टिंग की तारीख और समय निर्धारित करेगा कि पोर्टिंग, यथास्थिति, विनियम 10 के खंड (ख) के अंतर्गत दाता प्रचालक से स्वीकृति की प्राप्ति के समय से अथवा विनियम 10 में निर्दिष्ट समय–सीमा की समाप्ति से छत्तीस घंटे के भीतर हो जाए।

परंतु यह कि जम्मू–कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा खंड (ग) के अंतर्गत पोर्टिंग के लिए नियत की जाने वाली तारीख और समय, यथास्थिति, विनियम 10 के खंड (ख) के अंतर्गत दाता प्रचालक से स्वीकृति मिलने की तारीख से दस दिन के भीतर अथवा विनियम 10 में निर्दिष्ट समय–सीमा की समाप्ति होगा।

(2) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता ने उप–विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत दाता प्रचालक द्वारा यथाइंगित अस्वीकरण के आधारों को प्राप्तकर्ता प्रचालक को सूचित किया हो, वहां प्राप्तकर्ता प्रचालक उसे लिखित में या एसएमएस के माध्यम से संबंधित सब्सक्राइबर को सूचित करेगा।

(3) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता ने उप–विनियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत ऐसे मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग की तारीख और समय तथा पूर्वानुमानित नो सर्विस पीरियड की सूचना दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता प्रचालक को दी है, वहां प्राप्तकर्ता प्रचालक इसे टेलीफोन के द्वारा अथवा एसएमएस के द्वारा अथवा स्वचालित वॉयस संदेश के द्वारा सब्सक्राइबर को सूचित करेगा।

(4) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित की गई पोर्टिंग की तारीख और समय पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के लिए इसके अनुदेशों को दाता प्रचालक को सूचित करेगा तथा दाता प्रचालक तत्काल तथा हर हाल में ऐसे निर्देशों के प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर, –

(क) ऐसे अनुदेशों को अनुपालन करेगा; और

(ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

(5) दाता प्रचालक से उप–विनियम (4) के अंतर्गत अनुपालन की रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा उप–विनियम (4) में यथानिर्दिष्ट एक घंटा समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता प्राप्तकर्ता प्रचालक को मोबाइल नम्बर के एक्टिवेशन के लिए अपने अनुदेश संप्रेषित करेगा।

(6) मोबाइल नम्बर के एक्टिवेशन के लिए अनुदेश प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता प्रचालक तत्काल तथा हर हाल में ऐसे अनुदेशों के प्राप्त होने से एक घंटे के भीतर, –

(क) ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा; तथा

(ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को ऐसे अनुरोधों के अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

(7) उप–विनियम (6) के अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रचालक से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस में पोर्ट किए गए नम्बर को तदनुरूपी लोकेशन रूटिंग नम्बर आवंटित करेगा तथा सभी एक्सेस प्रदाताओं और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों को पोर्ट किए गए मोबाइल नम्बर के साथ–साथ अद्यतन लोकेशन रूटिंग नम्बर प्रसारित करेगा, जो अपने–अपने संबंधित स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को अद्यतन बनाएंगे।

12. दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध की अस्वीकृति के लिए आधार. – मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए कोई भी अनुरोध निम्नलिखित आधारों के अलावा किसी भी आधार पर दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, अर्थातः–

(क) यथास्थिति, लंबित बिल अथवा बिलों के रूप में सब्सक्राइबर से बकाया भुगतान देय हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परंतु पोर्टिंग के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया हो;

(ख) पोर्टिंग अनुरोध नए कनेक्शनों की एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया गया हो;

(ग) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई चल रही हो;

(घ) पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर पर मामला न्यायालय में चल रहा हो;

(ङ) मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग लाइसेंसर द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध की गई हो;

(च) सब्सक्राइबर ने अंतर–सेवा क्षेत्र पोर्टिंग के लिए आवेदन किया हो;

(छ) पोर्टिंग अनुरोध में उल्लिखित विशेष पोर्टिंग कोड पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर के लिए दाता प्रचालक द्वारा आवंटित विशेष पोर्टिंग कोड से मेल नहीं खाता हो; और

(ज) ऐसे विद्यमान संविदात्मक दायित्व हों, जिनके संबंध में सब्सक्राइबर करार में एक निर्गम खंड का प्रावधान किया गया हो परंतु सब्सक्राइबर ने ऐसे निर्गम खंड का अनुपालन न किया हो:

परंतु यह कि जहां दाता प्रचालक विद्यमान संविदात्मक दायित्वों के आधार पर किसी पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो वह ऐसे संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण विवरण प्रदर्शित करेगा।

13. पोर्टिंग अनुरोध की वापसी. – (1) कोई सब्सक्राइबर, पोर्टिंग के लिए अनुरोध करने के चौबीस घंटे के भीतर, प्राप्तकर्ता प्रचालक को लिखित रूप में सूचित करके ऐसे अनुरोध को वापस ले सकेगा;

परंतु यह कि अपने पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने वाला सब्सक्राइबर उसके द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को संदत्त पोर्टिंग प्रभार की किसी वापसी का पात्र नहीं होगा।

(2) जहां प्राप्तकर्ता प्रचालक ने अनुरोध को वापस लेने के बारे में सूचना की प्राप्ति तक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को पोर्टिंग अनुरोध अग्रेषित नहीं किया है, वह ऐसे पोर्टिंग अनुरोध पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

(3) यदि प्राप्तकर्ता प्रचालक ने लिए अनुरोध को वापस लेने के बारे में सूचना प्राप्त होने से पूर्व मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को पोर्टिंग अनुरोध को पहले ही अग्रेषित कर दिया है, तो वह पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने के बारे में तत्काल मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित करेगा तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता पोर्टिंग अनुरोध की वापसी के बारे में तत्काल दाता प्रचालक को सूचित करेगा।

(4) उप–विनियम (3) के अंतर्गत शामिल मामलों में, प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को लागू प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करने का दायी होगा।

अध्याय–III
सेवा प्रदाताओं के अधिकार और दायित्व

14. दाता प्रचालक के अधिकार और दायित्व. – (1) दाता प्रचालक ऐसे सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब की गई सभी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा, जिसने विनियम 11 के उप–विनियम (4) के उपबंधों के अनुरूप मोबाइल नम्बर के विच्छेदन तक अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग आशयित की है।

(2) मोबाइल नम्बर के विच्छेदन पर, दाता प्रचालक ऐसे सब्सक्राइबर को, समय–समय पर यथासंशोधित बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता विनियम, 2009 (2009 का 7) में यथानिर्दिष्ट ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से ऐसे सब्सक्राइबर को ऐसी समस्त देय राशि की वापसी कर देगा जो प्रतिदेय भुगतानों के फलस्वरूप ऐसे सब्सक्राइबरों को देय है अथवा ऐसे सब्सक्राइबर द्वारा दाता प्रचालक को निक्षेप के रूप में दी गई है।

(3) दाता प्रचालक उसके द्वारा पोर्ट–आउट किए गए सभी मोबाइल नम्बरों तथा उन सभी मोबाइल नम्बरों के अभिलेखों का अनुरक्षण, जिनके लिए पोर्टिंग अनुरोध उसके द्वारा

अस्वीकृत किए गए हैं, यथास्थिति, पोर्टिंग की तारीख अथवा अनुरोध की अस्वीकृति की तारीख से बारह माह की न्यूनतम अवधि तक करेगा।

(4) पोर्टिंग अनुरोध के पश्चात दाता प्रचालक के नेटवर्क से मोबाइल नम्बर के विच्छेदन तक ऐसे बिल में यथानिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर प्राप्त की गई सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर को जारी किसी बकाया बिल के गैर–भुगतान के मामले, में दाता प्रचालक सब्सक्राइबर को सात दिन से अन्यून अवधि का नोटिस देगा, जिसमें उसे अधिसूचित किया गया होगा कि उक्त नोटिस की अवधि के भीतर भुगतान न किए गए जाने के मामले में दाता प्रचालक पोर्ट किए गए नम्बर को विच्छेदित करने के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक से अनुरोध करेगा।

(5) यदि ऐसे अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसा सब्सक्राइबर नोटिस में यथानिर्दिष्ट अवधि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो दाता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसे बकाया बिलों के विवरण प्रेषित करेगा तथा पोर्टेड नम्बर को विच्छेदित करने के लिए कार्रवाई करने का परामर्श देगा।

15. प्राप्तकर्ता प्रचालक के अधिकार और दायित्व. – (1) प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता से इसके लिए बिल प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर अथवा पारस्परिक रूप से यथासहमत ऐसी अन्य समय–सीमा के भीतर प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ट प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करेगा।

(2) प्राप्तकर्ता प्रचालक ऐसे सभी मोबाइल नम्बरों के संबंध में रिकॉर्डों का ऐसे अनुरोधों की अस्वीकृति की तारीख से न्यूनतम बारह माह की न्यूनतम अवधि के लिए अनुरक्षण करेगा जिनके लिए पोर्टिंग अनुरोध अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

(3) जहां विनियम 14 के उप–विनियम (5) के अंतर्गत दाता प्रचालक द्वारा पोर्टेड नम्बर के विच्छेदन के लिए अनुरोध किया गया है, प्राप्तकर्ता प्रचालक दाता प्रचालक से प्राप्त हुए अनुरोध के बारे में संबंधित सब्सक्राइबर को एक नोटिस जारी करेगा, जिसकी अवधि सात दिन से कम और पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी, जिसमें ऐसे सब्सक्राइबर को ऐसे नोटिस की अवधि के भीतर दाता प्रचालक के साथ ऐसा बकाया देयराशि के निपटान का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया होगा और यदि सब्सक्राइबर ऐसी देयराशियों के निपटाने के ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक नोटिस के अनुसरण में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता के माध्यम से तदनुसार दाता प्रचालक को सूचित करेगा।

(4) यदि उप–विनियम (3) के अंतर्गत नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सब्सक्राइबर दाता प्रचालक के साथ ऐसी बकाया देयराशि का निपटान करने के साक्ष्य उपलब्ध करने में असफल रहता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक ऐसे सब्सक्राइबर के मोबाइल नम्बर को विच्छेदित कर देगा और ऐसे मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के बारे में तत्काल मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित करेगा तथा ऐसे मोबाइल नम्बर को नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात नम्बर रेंज होल्डर में पुनः वापस लाने का अनुरोध करेगा।

(5) यदि, प्राप्तकर्ता प्रचालक के नेटवर्क में मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के पश्चात उप–विनियम (4) में निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से मोबाइल नम्बर का विच्छेदन हुआ है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक, ऐसे विच्छेदन से नब्बे दिन के भीतर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को ऐसे विच्छेदन के बारे में सूचित करेगा तथा ऐसे मोबाइल नम्बर को नम्बर रेंज होल्डर में पुनः वापस लाने का अनुरोध करेगा।

16. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता के अधिकार और दायित्व. – (1) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता दाता प्रचालक एवं प्राप्तकर्ता प्रचालक के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से मोबाइल नम्बरों की त्वरित पोर्टिंग को सुकर बनाने के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस का प्रयोग केवल पोर्टिंग और डिपिंग के प्रयोजनार्थ ही करेगा तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(3) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता प्राप्त हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या, सफलतापूर्वक की गई पोर्टिंग की संख्या तथा असफलताओं के कारणों सहित असफल हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या के बारे में सांख्यिकी के विशिष्ट सेट सृजित करेगा।

(4) विनियम 15 के उप–विनियम (4) के अंतर्गत अथवा विनियम 15 के उप–विनियम (5) के अंतर्गत किसी पोर्टेड मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के बारे में प्राप्तकर्ता प्रचालक से संदेश प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता तत्काल–

(क) नम्बर को अपने नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस से हटा देगा;

(ख) सभी एक्सेस प्रदाताओं तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को अद्यतन बनाएगा; और

(ग) मोबाइल नम्बर को नम्बर रेंज होल्डर में वापस लाएगा।

(5) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालकों को प्रति पोर्ट ट्रांसजेक्शन प्रभारों के संबंध में प्रासंगिक विवरणों के साथ मासिक आधार पर बिल प्रदान करेगा तथा अगले माह की दस तारीख से पूर्व अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर और ऐसी समय–सीमाओं के भीतर, जोकि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाएं, ऐसे बिलों को, प्रत्येक माह के लिए, संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालकों को वितरित करेगा।

(6) यदि कोई प्राप्तकर्ता प्रचालक विनियम 15 के उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभारों के लिए बिल का भुगतान करने में असफल रहता है, तो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, कोई कार्रवाई करने से पूर्व, ऐसे प्राप्तकर्ता प्रचालक को एक नोटिस जारी करेगा, जिसकी अवधि पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी, जिसमें ऐसे प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसी अवधि के भीतर बकाया देयराशि का भुगतान करने के लिए कहा गया होगा।

(7) उप–विनियम (6) के अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रचालक को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता किसी भी दशा में ऐसे दोषी प्राप्तकर्ता प्रचालक की मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा के प्रावधान को समाप्त नहीं करेगा।

17. एक्सेस प्रदाताओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के दायित्व. – (1) एक्सेस प्रदाताओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के बीच सभी विद्यमान अंतरसंयोजन करार अथवा व्यवस्थाएं, इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर, संशोधित समझी जाएंगी ताकि वे पोर्टेड मोबाइल नम्बरों को तथा उनसे कॉलों की रूटिंग के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हो जाएं।

(2) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता तथा प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता, यथास्थिति, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के तीस दिन के भीतर अथवा एक्सेस सेवाओं या कैरिज सेवाओं के प्रारंभ होने से पूर्व, अपनी स्वयं की लागत पर अपने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी गेटवे से मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की मुख्य एवं आपदा निवारण साइटों तक व्यवधानरहित कनेक्टिविटी स्थापित करेगाः

परंतु यह कि –

(क) एक से अधिक लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस रखने वाला एक्सेस प्रदाता मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की मुख्य तथा आपदा निवारण साइटों के लिए ऐसी व्यवधानरहित कनेक्टिविटी स्थापित करेगा, जो उसके सभी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों के लिए समान होगी; और

(ख) किसी एक्सेस प्रदाता को कैरिज सेवा प्रदान करने वाला कोई एक्सेस प्रदाता, जो अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक भी है, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं के मुख्य तथा आपदा निवारण साइटों के लिए ऐसी व्यवधानरहित कनेक्टिविटी स्थापित करेगा, जो उसके सभी लाइसेंसशुदा सेवाओं के लिए समान होगी और मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ इसके विभिन्न लाइसेंसशुदा कार्यकलापों के लिए इसके स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की साझेदारी करेगाः

परंतु यह और कि किसी एक्सेस प्रदाता को कैरिज सेवा प्रदान करने वाला कोई भी एक्सेस प्रदाता अथवा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक किसी अन्य एक्सेस प्रदाता अथवा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक के साथ अपने स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की साझेदारी नहीं करेगाः

परंतु यह भी कि ऐसा सेवा प्रदाता जो अपने लाइसेंसशुदा कार्यकलापों में अपने स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की साझेदारी कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की ऐसी साझेदारी इसे पोर्ट किए गए मोबाइल नम्बरों तक मैसेज को सीधे रूट करने में समर्थ बनाती है।

(3) ऐसा प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर एक मैसेज ओरिजिनेट होता है, ऐसे मैसेज की सही रूटिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) अंतरराष्ट्रीय आवक मैसेजों के मामले में, ऐसे मैसेज कैरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक मैसेजों की सही रूटिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक पोर्टिंग सब्सक्राइबरों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अप्राधिकृत अवरोधन अथवा अप्राकृतिक एक्सेस से रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे डाटा का उपयोग केवल मोबाइल नम्बरों की पोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए ही किया जा रहा है तथा उसका प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगाः

परंतु यह कि इस उप–विनियम के उपबंध ऐसे एक्सेस प्रदाता को अभिहित सुरक्षा एजेंसियों को संवीक्षा प्रयोजनों के लिए ऐसा डाटा प्रदान करने अथवा ऐसे डाटा की एक्सेस करने से निवारित नहीं करेंगे।

अध्याय – IV
प्रकीर्ण

18. नम्बर पोर्टेबिलिटी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न क्रियाकलापों के लिए समय–सीमा निर्दिष्ट करने के लिए निदेश जारी करने की प्राधिकरण की शक्तियां. – (1) अधिनियम के किसी उपबंध, अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी अन्य विनियम अथवा उसके अंतर्गत जारी निदेशों के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना, प्राधिकरण, समय–समय पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के किसी पहलू पर, जिसके लिए इन विनियमों में प्रावधान किए गए हैं, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह सेवा प्रदाताओं के लिए उपयुक्त समझे।

19. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा – (1) प्राधिकरण, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तथा इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आदेश द्वारा, लिखित में, अपने किसी अधिकारी अथवा कर्मी अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी स्वतंत्र एजेंसी को इन विनियमों के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा अनुरक्षित किन्हीं अभिलेखों की जांच करने अथवा ऐसे अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने का निदेश दे सकेगा।

(2) प्राधिकरण, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट सेवा प्रदाता से ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा अनुरक्षित रिपोर्टों की प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से लेखापरीक्षा कराने तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट को प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसी लेखापरीक्षा की लागत का वहन संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

(सुधीर गुप्ता)
सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)

टिप्पणीः व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 (2009 का 8) का व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. दूरसंचार क्षेत्र, विशेष रूप से मोबाइल दूरसंचार के क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा कार्यकुशलता के संवर्धन में, अन्य बातों के साथ–साथ, सब्सक्राइबरों की एक सेवा प्रदाता से दूसरे में अथवा मोबाइल प्रौद्योगिकियों में आसानी से अंतरित होने की सुविधा की अपेक्षित होती है। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबरों को उस समय अपना विद्यमान मोबाइल नम्बर बनाए रखने में समर्थ बनाती है, जब वे मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर, एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में समान एक्सेस प्रदाता की किसी एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से किसी अन्य प्रौद्योगिकी में अंतरित होते हैं। एक नए दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास जाने के बावजूद विद्यमान मोबाइल नम्बर को बनाए रखने की सुविधा सब्सक्राइबर को उनके मित्रों/ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। एमएनपी की शुरूआत सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनकी सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है।

2. प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने 1 अगस्त, 2008 को एमएनपी सेवा लाइसेंस के लिए दिशा–निर्देश जारी किए। उसने देश में दो जोनों के लिए दो एमएनपी प्रचालक भी चिह्नित किए तथा उन्हें लाइसेंस जारी किए। यह भी निर्णय लिया गया है कि महानगरों में तथा श्रेणी 'क' में एमएनपी 31 दिसम्बर, 2009 से तथा शेष देश में 20 मार्च, 2010 तक क्रियान्वित की जाएगी।

3. इन विनियमों के माध्यम से, प्राधिकरण देश में एमएनपी के क्रियान्वयन के लिए आधारभूत व्यवसाय प्रक्रिया ढांचा निर्धारित कर रहा है। भादूविप्रा ने इस विषय पर मसौदा विनियम 30 जून, 2009 को अपनी वेबसाइट पर रखे थे। मसौदा विनियम पर पणधारकों से टिप्पणियां 14 जुलाई, 2009 तक मांगी गई थीं। पणधारकों की लिखित टिप्पणियों को भी भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया था जिसके पश्चात पणधारकों के साथ दिल्ली में 27 जुलाई, 2009 को ओपन हाउस चर्चा का भी आयोजन किया गया था तथा पणधारकों से

अनुरोध किया गया था कि वे अपनी और टिप्पणियां, यदि कोई हैं, 31 जुलाई, 2009 तक भेजें। पणधारकों की लिखित टिप्पणियों तथा ओपन हाउस चर्चा में व्यक्त किए गए उनके विचारों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात प्राधिकरण ने अब विद्यमान विनियमों को अंतिम रूप प्रदान किया है।

4. इन विनियमों का आशय निम्न द्वारा एमएनपी के सभी प्रासंगिक पहलुओं को विनियंत्रित करने वाला पूर्ण विनियामक ढांचा उपलब्ध कराना हैः—

(क) मोबाइल टेलीफोन नम्बरों की पोर्टिंग के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तों का निर्धारण करना;
(ख) विभिन्न पणधारकों के अधिकारों तथा दायित्वों को परिभाषित करना, अर्थात दाता प्रचालक, प्राप्तकर्ता प्रचालक, एमएनपी सेवा प्रदाता;
(ग) नम्बर पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण की श्रृंखला में प्रत्येक प्लेयर द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति का निर्धारण;
(घ) श्रृंखला में प्रत्येक प्लेयर अर्थात दाता प्रचालक, प्राप्तकर्ता प्रचालक और एमएनपी सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न चरणों की पूर्ति के लिए स्पष्ट समय—सीमा निर्दिष्ट करना; और
(ङ) उपभोक्ताओं को सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान की परिकल्पना।

इन विनियमों के अंतर्गत एमएनपी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैंः

(i) एमएनपी सुविधा केवल किसी निश्चित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी।

(ii) मोबाइल नम्बर रखने वाला सब्सक्राइबर अपने मोबाइल कनेक्शन के एक्टिवेशन की तारीख से 90 दिन के पश्चात ही पोर्टिंग अनुरोध करने का पात्र है। यदि नम्बर पहले भी एक बार पोर्ट किया गया है, तो केवल उसकी पूर्व पोर्टिंग की तारीख से 90 दिन के पश्चात ही नम्बर पुनःपोर्ट किया जा सकेगा।

(iii) जो सब्सक्राइबर अपना मोबाइल नम्बर पोर्ट करना चाहता है, उसे प्राप्तकर्ता प्रचालक (वह प्रचालक जिसको सब्सक्राइबर अपना नम्बर पोर्ट कराना चाहता है) से संपर्क करना होगा। सब्सक्राइबर को पोर्टिंग प्रभारों, यदि कोई हैं, का भुगतान प्राप्तकर्ता प्रचालक को करना अपेक्षित है।

(iv) पोर्टिंग अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर को पोर्टिंग अनुरोध की तारीख से पूर्व जारी सभी बिलों का भुगतान करना अपेक्षित है। वह यह वचन देगा कि उसने पोर्टिंग के लिए अनुरोध की तारीख को दाता प्रचालक को देय सभी बिलों का पहले ही भुगतान कर दिया है तथा वह उसकी वास्तविक पोर्टिंग होने तक मोबाइल नम्बर से संबंधित समस्त देयताओं का भुगतान दाता प्रचालक को करेगा तथा यह कि वह यह समझता है और सहमत है कि दाता प्रचालक को ऐसी किसी देयराशि का भुगतान न किए जाने के मामले में, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा पोर्ट किया गया मोबाइल नम्बर विच्छेदित किए जाने का दायी होगा।

(v) सब्सक्राइबर प्राप्तकर्ता प्रचालक को उसका पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के 24 घंटे के भीतर उसे वापस ले सकेगा। तथापि, पोर्टिंग प्रभार वापसी–योग्य नहीं होंगे।

(vi) विनियम में पोर्टिंग प्रक्रिया की पूर्ति के लिए चार दिन की अधिकतम समयावधि परिकल्पित की गई है।

(vii) एक्सेस प्रदाता को ऑल कॉल क्वेरी पद्धति का कार्यान्वयन करना अपेक्षित है।

(viii) ओरिजिनेटिंग प्रचालक कॉल को सही समापन नेटवर्क में रूट करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य मुद्दों पर पणधारकों की टिप्पणियां तथा उसका विश्लेषण

1. दोहरी प्रौद्योगिकी प्रदाता के संदर्भ में दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक की परिभाषाः–

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि परिभाषा यह स्पष्ट रूप से दर्शाए कि दाता प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता प्रचालक एक ही सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी में किसी नम्बर की पोर्टिंग के मामले में समान होंगे।

परिभाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दाता प्रचालक वह है जिससे सब्सक्राइबर अपने नम्बर की पोर्टिंग से पूर्व संबंधित है। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी में समान सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी में पोर्टिंग शामिल है। चूंकि दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक के कृत्य स्वतंत्र रूप से निष्पादित किए जाते हैं, अतः यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि दाता और प्राप्तकर्ता प्रचालक समान हैं अथवा अलग–अलग। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह बताना आवश्यक नहीं समझा गया है कि प्रौद्योगिकियों के मध्य मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रदान करने वाले समान सेवा प्रदाता के मामले में दाता एवं प्राप्तकर्ता प्रचालक समान होंगे।

2. जहां अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है, वहां पोर्टिंग प्रभार उद्ग्रहित करना

कुछ पणधारकों द्वारा यह सुझाव दिए गए थे कि पोर्टिंग प्रभार केवल सफल पोर्टिंग के मामले में ही उद्ग्रहित किए जाने चाहिए, सिवाए उस मामले को छोड़कर जहां सब्सक्राइबर ने स्वयं ही अपना पोर्टिंग अनुरोध वापस ले लिया है। ऐसे अन्य लोग भी थे, जिन्होंने यह महसूस किया कि चाहे पोर्टिंग क्रियान्वित हो या नहीं, पोर्टिंग प्रभार देय होंगे, चूंकि प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए सेवा प्रदाता कोई न कोई व्यय उपगत करता है।

टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण की यह राय है कि इस तर्क में गुण विद्यमान है कि पात्रता मानदण्डों के बारे में उपभोक्ता को पहले ही सूचित किया जा रहा है। अनुरोधों

के परीक्षण में प्राप्तकर्ता प्रचालक/एमएनपी सेवा प्रदाता द्वारा कार्रवाई शामिल होती है। इसके अलावा, पोर्टिंग प्रभार की वापसी में भी सेवा प्रदाताओं के लिए अतिरिक्त व्यय शामिल होता है। अतः यह महसूस किया गया कि प्राप्तकर्ता प्रचालक को भुगतान किए गए पोर्टिंग प्रभारों की वापसी के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

3. दाता, प्राप्तकर्ता तथा एमएनपी सेवा प्रदाता के बीच पोर्टिंग प्रभारों की साझेदारी

कुछ सेवा प्रदाताओं ने टिप्पणी की कि चूंकि सब्सक्राइबरों की पोर्टिंग के लिए एमएनपीएसपी, दाता/प्राप्तकर्ता प्रचालकों को अतिरिक्त कार्रवाई करनी होती है, पोर्टिंग प्रभार इन प्रचालकों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। इस विषय पर प्रति–पोर्ट संव्यवहार प्रभार, डिपिंग प्रभार तथा पोर्टिंग प्रभार का निर्धारण करने के समय कार्रवाई की जाएगी।

4. व्यवसाय दिन तथा घंटों को परिभाषित करना

कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह महसूस किया कि व्यवसाय दिन और घंटे/व्यवसाय दिन की समाप्ति को परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि व्यवसाय दिन सोमवार से शनिवार तक तथा कार्य घंटे प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक होने चाहिए जबकि कुछ की राय थी कि चूंकि यह अभिव्यक्ति परक्राम्य लिखत अधिनियम में पहले ही परिभाषित की गई है, अतः इसे इन विनियमों में परिभाषित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

व्यवसाय घंटे को परिभाषित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि आजकल प्रचालकों के अपने ही समय निर्धारित हैं। अतः विनियमों में, जहां अपेक्षित है, निर्दिष्ट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमेय घंटों की संख्या के संदर्भ में समय–सीमा निर्दिष्ट की गई है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अंतर्गत घोषित रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को, जहां अपेक्षित है, शामिल नहीं किया गया है।

5. पोर्टिंग के लिए आवेदन हेतु पात्रता शर्त

पोर्टिंग के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में 90 दिन के विनियम पर विवादस्पद दृष्टिकोण थे। कुछ पणधारकों ने इस स्पष्टीकरण का सुझाव दिया कि 90 दिन की अवधि क्रॉस–प्रौद्योगिकी पोर्टिंग के लिए भी लागू होनी चाहिए। कुछ उपभोक्ता प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि पोर्टिंग के लिए कोई समय–सीमा निर्दिष्ट नहीं की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश सेवा प्रदाता 90 दिन की समय–सीमा पर सहमत थे।

इसकी जांच की गई है तथा प्राधिकरण की यह राय है कि एक न्यूनतम अवधि निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है ताकि सेवा प्रदाता को उपभोक्ता अर्जन लागत की वसूली में समर्थ बनाया जा सके। मोबाइल नम्बर पोर्टिंग समान प्रचालकों के बीच क्रॉस–प्रौद्योगिकी पोर्टिंग के परिदृश्य का भी ध्यान रखेगी।

6. दाता प्रचालक द्वारा पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर से देयराशि की वसूली

एमएनपी के मसौदा विनियम में, यह सुझाव किया गया था कि सब्सक्राइबर अपने नम्बर की पोर्टिंग के लिए केवल तभी पात्र होगा जब उसने पिछले बिल (पोस्ट–पेड सब्सक्रिप्शन के मामले में) का भुगतान कर दिया हो तथा उसने यह वचन भी दिया हो कि वह इसकी वास्तविक पोर्टिंग तक दाता प्रचालक की सभी भावी देय राशियों का भुगतान करना जारी रखेगा। पणधारकों की टिप्पणियां थीं कि –

- विनियम में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि उसके मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के पश्चात भी, सब्सक्राइबर दाता प्रचालक को सभी लंबित देयराशियों का भुगतान करने का दायी होगा।
- एक अतिरिक्त प्रक्रिया का सुझाव दिया गया था जिसमें दाता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर को उसका पोर्टिंग अनुरोध स्वीकार करने से पूर्व भुगतान किए जाने के लिए बिल पेश किया जाना था।

- भादूविप्रा को एमएनपी ग्राहक द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को प्रदान किए जाने वाले वचन का प्रपत्र निर्दिष्ट करना चाहिए।

विनियमों में इन बातों के समाधान के पर्याप्त प्रावधान हैं। पोर्टिंग अनुरोध केवल तभी वैध होगा, जब सब्सक्राइबर ने उसके पोर्टिंग अनुरोध की तारीख से पूर्व जारी बिलों के अनुसार अपनी देयताओं का भुगतान कर दिया होगा। वह पोर्टिंग अनुरोध के पश्चात जारी सभी बिलों का भुगतान करने का भी दायी होगा, जिसमें असफल रहने पर प्राप्तकर्ता प्रचालक, सम्यक पद्धति का अनुपालन करने के उपरांत, उसका नम्बर विच्छेदित करने का पात्र होगा। प्राधिकरण की यह राय है कि दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग किए जाने से पूर्व उसकी समस्त देयताओं की वसूली के लिए कोई और अतिरिक्त पद्धति मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए प्रक्रिया को जटिल बना देगी। किसी प्रचालक से पोर्टिंग देयताओं की वसूली के प्रयोजनार्थ विच्छेदन के समान है। इसके अतिरिक्त, देयताओं की वसूली के लिए अन्य विधिक उपचारों हेतु विनियमों में उपयुक्त प्रावधान भी किए गए हैं।

7. प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबरों का सत्यापन तथा दाता प्रचालक द्वारा अधिप्रमाणन

मसौदा विनियम में प्रस्ताव किया गया था कि सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता प्रचालक, पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर, उसी रीति से सब्सक्राइबर सत्यापन करेगा जैसीकि किसी नए सब्सक्राइबर के अर्जन के लिए अपेक्षित है।

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि सब्सक्राइबर सत्यापन एक सुरक्षा संबंधी मुद्दा होने के नाते, सत्यापन पोर्टिंग से पूर्व किया जाना चाहिए। पोस्टपेड सब्सक्राइबरों, विशेष रूप से ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तथा साथ ही जम्मू–कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित सब्सक्राइबरों का भौतिक सत्यापन करने के लिए 5 दिन की समय–सीमा पर्याप्त नहीं होगी, अतः कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। दूसरी ओर, जिन्होंने त्वरित पोर्टिंग का पक्ष लिया, उन्होंने यह तर्क दिया कि नए सब्सक्राइबरों के विपरीत, दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग सब्सक्राइबर का सत्यापन पहले ही किया होता है तथा वह 90 दिन की न्यूनतक अवधि के

लिए नेटवर्क पर विद्यमान होता है। अतः पोर्टिंग की समाप्ति के पश्चात बाद में सत्यापन करना संभव होगा।

अपनी टिप्पणी में, जिसे भादूविप्रा की वेबसाइट पर तथा चर्चा के दौरान भी रखा गया, एक पणधारक ने सुझाव दिया किया कि त्वरित पोर्टिंग सुनिश्चित करने तथा सब्सक्राइबरों के विवरणों के मेल न खाने के कारण दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकरण के अवसरों को कम करने के लिए, अपना नम्बर पोर्ट करने का आवेदन कराने वाले पोस्ट–पेड सब्सक्राइबर को प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा उसके मोबाइल हैंडसेट से एक निर्दिष्ट शार्ट कोड पर एक एसएमएस भेजने के लिए कहा जाना चाहिए। एसएमएस की प्राप्ति पर सब्सक्राइबर अधिप्रमाणित हो जाएगा तथा दाता प्रचालक यह सत्यापित कर पाने में समर्थ भी रहेगा कि सब्सक्राइबर की ओर से उसके नेटवर्क से एमएसएम ओरिजिनेट हुआ है। इसका अन्य द्वारा विरोध नहीं किया गया।

विनियमों का उद्‌देश्य एमएनपी को एक सरल प्रक्रिया बनाना है। प्राधिकरण की चिंता यह है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध केवल पते में परिवर्तन, सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग के समय पर दिए गए डाटा तथा दाता प्रचालक के पास उपलब्ध डाटा में नाम अथवा पते में वर्तनी संबंधी अंतर, अथवा मूल सीएएफ विवरणों की गैर–उपलब्धता के कारण अस्वीकृत नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में, सब्सक्राइबर के अनुरोध की अस्वीकृति अथवा दाता प्रचालक की ओर से स्वीकृति की मंजूरी में विलंब की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी। इसके अलावा, सब्सक्राइबर केवल दाता प्रचालक की ओर से ही विच्छेदित होगा। अतः दाता प्रचालक को केवल इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि पोर्टिंग के लिए आवेदन करने वाला मोबाइल नम्बर इसके नेटवर्क से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, एमएनपी को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के उद्‌देश्य से, मुख्य पहलू सब्सक्राइबर के लिए प्रक्रिया को सरल, आसान एवं त्वरित बनाना है। प्राधिकरण ने अपने विश्लेषण में यह पाया कि एक पणधारक द्वारा ऊपर दिया गया सुझाव न्यूनतम अवस्थाओं के साथ पोर्टिंग प्रक्रिया को सरल तथा त्वरित बना सकता है तथा साथ ही यह दाता प्रचालक द्वारा अनावश्यक अस्वीकरण का ध्यान भी रखेगा। तदनुसार, विनियमों में एक ऐसी पद्धति भी आरंभ की गई है जिसमें अपने नम्बर की पोर्टिंग के लिए अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर के अधिप्रमाणन के लिए दाता प्रचालक द्वारा एक विशेष पोर्टिंग कोड सृजित

किया जाएगा। सब्सक्राइबर को इस कोड को प्राप्तकर्ता प्रचालक को उपभोक्ता अर्जन प्ररूप प्रस्तुत करते समय पोर्टिंग प्ररूप में अंतर्विष्ट करना होगा।

8. नो सर्विस पीरियड की अवधि

परामर्श के दौरान, पणधारकों का यह मत था कि "नो सर्विस पीरियड" के लिए निर्दिष्ट 2 घंटे की समय–सीमा बहुत कम है तथा सब्सक्राइबर नम्बर के विच्छेदन/एक्टिवेशन के लिए अधिक समय अपेक्षित है। वे चाहते थे कि इस अवधि को बढ़ाकर 4–5 घंटे प्रत्येक कर दिया जाए।

प्राधिकरण ने यह महसूस किया है कि क्रमशः दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा विच्छेदन तथा एक्टिवेशन के लिए एक घंटे की विंडो अवधि एमएनपी सेवा लाइसेंस शर्त के अनुरूप है। इसके अलावा, उस समयावधि को और बढ़ाए जाने से सब्सक्राइबर को असुविधा होगी। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि "नो सर्विस पीरियड" को पहले जैसा ही बनाए रखा जाए।

9. संविदात्मक दायित्व के परिणामस्वरूप अस्वीकरण के कारण

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि दाता प्रचालक तथा सब्सक्राइबर के बीच किसी भी संविदात्मक दायित्व को दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकरण के लिए एक कारण के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर विचार के पश्चात् प्राधिकरण ने इस तर्क में गुण पाया कि ऐसे सब्सक्राइबर को नम्बर पोर्ट करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो किसी ऐसे विद्यमान संविदात्मक दायित्व के अधीन हो जिसमें दाता प्रचालक के साथ एक निर्गम खंड हो तथा उसका अनुपालन न किया गया हो। तदनुसार विनियमों में उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं।

10. पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान सब्सक्राइबर की आईएसडी तथा अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधाओं को जारी रखने के लिए दाता प्रचालक का विवेकाधिकार

कुछ पणधारकों का यह मत था कि पोर्टिंग के लिए आवेदन करने वाले सब्सक्राइबरों के लिए हाई एक्सपोजर सेवाएं जैसे, आईएसडी, अंतरराष्ट्रीय रोमिंग तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं जारी रखना अधिदेशित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि इसके विरोध में यह मत था कि ऐसी सभी सेवाओं अथवा सुविधाओं को, जोकि सब्सक्राइबर अपने पोर्टिंग अनुरोध से पूर्व प्राप्त कर रहा था, पोर्टिंग अवधि के भीतर सब्सक्राइबर नम्बर पर अवश्य ही जारी रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्राधिकरण का मत है कि सेवा प्रदाता सामान्यतया ऐसी ऋण सीमा अनुरक्षित करते हैं जिनके पश्चात सब्सक्राइबरों को ऐसी सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। दूसरे, संशोधित पोर्टिंग पद्धति को ध्यान में रखते हुए, समग्र प्रक्रिया के लिए अवधि को पर्याप्ततः कम कर दिया गया है। तीसरे, एसटीडी/अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा रखने वाले सब्सक्राइबरों की संख्या कम है तथा उन्हें दैनिक आधार पर इन सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है। अतः यह महसूस किया गया है कि दाता प्रदाता को उपलब्ध ऐसे प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा उस दोषी सब्सक्राइबर के लिए नोटिस की अवधि जिसने प्राप्तकर्ता प्रचालक को अपना नम्बर पोर्ट किया है।

मसौदा विनियमों में उपबंध था कि यदि कोई पोस्ट–पेड सब्सक्राइबर बिल के अनुसार अंतिम तारीख तक दाता प्रचालक के बकाया बिलों को भुगतान करने में असफल रहता है, तो दाता प्रदाता ऐसे भुगतान के लिए एक नोटिस जारी करेगा। यदि सब्सक्राइबर फिर भी बकायों का भुगतान नहीं करता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा दाता प्रचालक से सूचना प्राप्त होने पर, एक नोटिस जारी करने के पश्चात नम्बर को विच्छेदित करने की अपेक्षा की गई थी। दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक के लिए क्रमशः "15 दिन से अन्यून" तथा "7 दिन से अन्यून" की अवधि विनिर्दिष्ट की गई थी।

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि नोटिस की 15 दिन की अवधि असम्यक रूप से लंबी है क्योंकि अपने बकायों का भुगतान करने के लिए सब्सक्राइबर को पहले ही पर्याप्त समय प्रदान किया जा चुका है, जबकि अन्य ने यह महसूस किया कि 7 दिन की नोटिस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए।

व्यावहारिक तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि दाता प्रदाता द्वारा दोषी सब्सक्राइबर के लिए नोटिस की अवधि "7 दिन से अन्यून" के रूप में तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा "7 दिन से अन्यून परंतु 15 दिन से अनधिक" के रूप में रखी जाए।

12. एक्सेस प्रदाता/आईएलडीओ तथा एमएनपी सेवा प्रदाताओं के बीच कनेक्टिविटी की स्थापना

एक्सेस प्रदाताओं की राय यह थी कि प्रत्येक नए सेवा प्रदाता (प्राप्तकर्ता) को, उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं अर्थात सीएमटीएस/बीएसओ/यूएएसएल/एनएलडीओ/आईएलडीओ के प्रकार को ध्यान में न रखते हुए, विद्यमान प्रचालक (प्रदाता) से अंतरसंयोजन प्राप्त करना होता है। एमएनपी सेवा प्रदाता तथा प्रत्येक एक्सेस प्रदाता/आईएलडीओ के बीच अंतरसंयोजन करार भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित वर्तमान आरआईओ उपबंधों द्वारा विनियंत्रित होना चाहिए। उन्हें लाइसेंस के उपबंधों के विपरीत उनकी अपनी लागत पर अंतरसंयोजन स्थापित करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर पणधारकों की टिप्पणियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। देश में एमएनपी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सब्सक्राइबरों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करना है कि वे अपना मोबाइल नम्बर बनाए रखते हुए अपना सेवा प्रदाता बदल सकें। ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को मदद देन तथा उनकी सहायता करने के लिए एमएनपी सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। अतः प्राप्तकर्ता/प्रदाता का मुद्दा इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, यह विनियम एमएनपी सेवा के लाइसेंस

करार के खंड 31.13 तथा सरकार द्वारा सभी बुनियादी सेवा, सीएमटीएस, यूएएस, एनएलडी और आईएलडी लाइसेंसियों को दूरसंचार विभाग के दिनांक 6 मई, 2009 के पत्र सं0 20–201/2008–एएस–I द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुरूप है। अतः प्राधिकरण ने पणधारकों के विचारों में कोई गुण नहीं पाया है।